प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01634/2022-2023

दिनांक 21/11/2022

# सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
## (अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )

नवीनीकरण संख्या:R/CHN/13714/2022-2023 पत्रावली संख्या:V-26136 दिनांक:2002-2003

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **चन्द्रप्रभा शिक्षा समिति, सैयदराजा, जिला-चन्दौली, चन्दौली, 232110** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 656/2002-03 दिनांक-17/08/2002 को दिनांक-17/08/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है ।

1200 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

**Digitally Signed By**
**(MANGALESH SINGH PALIWAL)**
**A3AEB9E282C2AF3048C700F4171C5E6A98948B9A**
**Date: 21/11/2022 3:29:07 PM, Location: Varanasi.**

जारी करने का दिनांक-21/11/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

स्मृति-पत्र

(1) संस्था का नाम : चन्द्रप्रभा शिक्षा समिति

(2) संस्था का पता : सैयदराजा, चन्दौली

(3) संस्था का कार्यक्रम : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

(4) संस्था का उद्देश्य : संस्था का निम्नलिखित उद्देश्य होगा ---

(1) बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए नर्सरी, प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालय की व्यवस्था एवं संचालन करना ।

(2) नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था करना ।

(3) हिन्दी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करना ।

(4) निर्धन, असहाय, तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

(5) ज्ञान-विज्ञान, भौतिक, शारीरिक, नैतिक एवं बौद्धिक शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना ।

(6) खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना ।

बाबू नन्दन तिवारी
ओंकार सिंह
चन्द्र प्रभा देवी
मधु देवी
ओमप्रकाश सिंह
रामरूप सिंह
तारा देवी
अजय कुमार राय
विमला देवी

(5) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है ।

क्रमशः---2

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसायटीज एवं
चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

# कार्यकारिणी समिति

| क्र0 सं0 | नाम | पिता/पति का नाम | पता | व्यवसाय | पद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | श्री कमलाकर प्रसाद सिंह | स्व0श्री हजारी सिंह | ग्राम- रेवसां<br>पो0-सैयदराजा<br>जि0-चन्दौली | कृषि | अध्यक्ष |
| 2- | मु0 अब्दुल सकूर | मु0 जूठन | सैयदराजा<br>चन्दौली | व्यापार | उपाध्यक्ष |
| 3- | श्री ओंकार सिंह | श्री कमलाकरप्रसाद सिंह | ग्रा0- रेवसां<br>पो0- सैयदराजा<br>जि0- चन्दौली | कृषि | प्रबन्धक |
| 4- | श्री बाबूनन्दन तिवारी | श्री बैजनाथ तिवारी | ग्रा0-छत्रपुरा<br>पो0-सैयदराजा<br>जि0-चन्दौली | व्यापार | मन्त्री |
| 5- | डा0 अजय कुमार राय | स्व0हरिनारायण राय | ग्रा0- मेहवां<br>पो0- देवरिया<br>जि0- गाजीपुर | कृषि | कोषाध्यक्ष |
| 6- | श्री प्रकाश सिंह | श्री कमलाकर प्रसाद सिंह | ग्रा0- रेवसां ,<br>पो0- सैयदराजा<br>जि0- चन्दौली | कृषि | सदस्य |
| 7- | श्री रामरूप राम | स्व0घिसियावन राम | ग्रा0- रेवसां<br>पो0- सैयदराजा<br>जि0- चन्दौली | मजदूरी | " |
| 8- | श्रीमती तारादेवी | श्री रामकृत राय | ग्रा0- डेना,<br>पो0- धीना<br>जि0- चन्दौली | नौकरी | " |
| 9- | श्रीमती चन्द्रप्रभादेवी | स्व0श्री इन्द्रदेव राय | ग्रा0- कुछिला,<br>पो0- कुछिला<br>जि0- भभुआ | कृषि | " |
| 10- | श्रीमती मधु देवी | श्री बाँके राय | ग्रा0- नागपुर,<br>पो0- नागपुर ,<br>जि0- बक्सर | कृषि | " |
| 11- | श्रीमती विमलादेवी | श्री चन्द्रशेखर तिवारी | ग्रा0- तरांव<br>पो0- तरांव<br>जि0- रोहतास (सासाराम) | कृषि | " |

कमलाकर प्र. सिंह
ओंकार सिंह
चन्द्रप्रभा देवी
अब्दुल शकूर
ओमप्रकाश सिंह
मधु देवी
अजय कुमार राय
तारा देवी
रामरूप राम
बाबू नन्दन तिवारी
विमला देवी

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

16। हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृति-पत्र के अनुसार सोसाइटीज रजि0 ऐक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं :--

| क्र0 सं0 | नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1- | श्री कमलाकर प्रसाद सिंह | ग्रा0- रेवसा, पो0- सैयदराजा, जि0- चन्दौली | कमलाकर प्र. सिंह |
| 2- | मु0 अब्दुल सकूर | सैयदराजा, चन्दौली | अब्दुल शकूर |
| 3- | श्री औंकार सिंह | ग्रा0 - रेवसां पो0 - सैयदराजा जि0 - चन्दौली | ओंकार सिंह |
| 4- | श्री बाबूनन्दन तिवारी | ग्रा0 - छत्रपुरा पो0 - सैयदराजा जि0- चन्दौली | बाबू नन्दन तिवारी |
| 5- | डा0 अजयकुमार राय | ग्रा0 - मेहवां पो0 - देवरिया जि0 - गाजीपुर | अजय कुमार राय |
| 6- | श्री प्रकाश सिंह | ग्रा0 - रेवसां पो0 - सैयदराजा जि0 - चन्दौली | श्रीप्रकाश सिंह |
| 7- | श्री रामरूप राम | ग्रा0 - रेवसां पो0 - सैयदराजा जि0 - चन्दौली | रामरूप राम |
| 8- | श्रीमती तारा देवी | ग्रा0 - डैना पो0 - धीना जि0 - चन्दौली | तारा देवी |
| 9- | श्रीमती चन्द्रप्रभादेवी | ग्रा0 - कुछिला पो0 - कुछिला जि0 - भभुआ | चन्द्रप्रभा देवी |

कमलाकर प्र. सिंह
अब्दुल शकूर
ओंकार सिंह
श्रीप्रकाश सिंह
अजय कुमार राय
बाबू नन्दन तिवारी
रामरूप राम
तारा देवी
चन्द्रप्रभा देवी
मधु देवी
विमला देबी

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं
चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

क्रमशः:---14।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10- | श्रीमती मधु देवी | ग्रा0- नागपुर<br>पो0- नागपुर<br>जि0- बक्सर | मधु देवी |
| 11- | श्रीमती विमलादेवी | ग्रा0- तरावँ<br>पो0- तरावँ<br>जि0- रोहतास<br>(सासाराम) | विमला देवी |

दिनांक :

ओंकार सिंह

चन्द्रप्रभा देवी

मधु देवी

ओमप्रकाश सिंह

देवी

अजय कुमार राय

विमला देवी

बाबू नन्दन तिवारी

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसायटीज एवं
चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता

6.

# नियमावली

(1) संस्था का नाम : चन्द्रप्रभा शिक्षा समिति

(2) संस्था का पता : सैयदराजा, चन्दौली ।

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

(4) संस्था का उद्देश्य : संस्था का निम्नलिखित उद्देश्य होगा :--

(1) बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए नर्सरी, प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालय की व्यवस्था एवं संचालन करना ।

(2) नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था करना ।

(3) हिन्दी-अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करना ।

(4) निर्धन, असहाय तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को पुस्तकीय सहायता, तथा छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

(5) ज्ञान-विज्ञान, भौतिक, शारीरिक, नैतिक एवं बौद्धिक शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना ।

(6) खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना ।

(5) संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

संस्था में निम्न प्रकार के सदस्य होंगे तथा उनकी सदस्यता निम्न शर्तों के मान्य होगी -----

(1) आजीवन सदस्य :

वे व्यक्ति संस्था के आजीवन सदस्य होंगे जो संस्था के प्रति तथा संस्था के कार्य के प्रति निष्ठावान होंगे और निर्धारित आजीवन सदस्यता शुल्क 50/- जमा कर देने के बाद संस्था के आजीवन सदस्य समझे जायेंगे ।

कामता कान्त प्र. सिंह
ओंकार सिंह
चन्द्रप्रभा देवी
मधु देवी
ओमप्रकाश सिंह
रामस्वरूप
[illegible]
तारा देवी
अजय कुमार सिंह
विमला देवी
बाबू नन्दन तिवारी

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

क्रमशः---(2)

(2) विशिष्ट सदस्य :

वे व्यक्ति जो संस्था के प्रति तथा कार्य के प्रति निष्ठावान होंगे तथा संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर विशिष्ट सदस्य माने जायेंगे ।

(3) सामान्य सदस्य :

वे व्यक्ति जो संस्था के प्रति तथा संस्था के कार्य के प्रति निष्ठावान होंगे और संस्था के विकास में अपना निरन्तर सहयोग व योगदान देते रहेंगे तथा संस्था द्वारा निर्धारित 51/- सामान्य सदस्यता शुल्क तथा शर्त पर सामान्य सदस्य समझे जायेंगे ।

(6) सदस्यता की समाप्ति :

संस्था के सदस्यों की सदस्यता निम्न शर्तों व कारणों से समाप्त समझी जायेगी :--

(1) आजीवन सदस्य के मृत्योपरान्त, पागल होने पर , किसी अनुचित कार्य के लिए न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर , दिवालिया होने पर तथा संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क न जमा करने पर तथा संस्था के प्रति निष्ठा व सहयोग न होने पर साधारण सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी अथवा समझी जायेगी ।

(2) विशिष्ट सदस्य के मृत्योपरान्त ,पागल होने पर, न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर, दिवालिया होने पर , तथा संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क न जमा करने पर तथा संस्था के प्रति निष्ठावान न रहने पर साधारण सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यता समाप्त समझी जायेगी ।

कमला [illegible] सिंह
ओंकार सिंह
चन्द्रप्रभा देवी
मधु देवी
ओमप्रकाश सिंह
[illegible]
[illegible]
तारा देवी
अजय कुमार राय
विमला देबी
बाबूनन्दन तिवारी

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

क्रमशः:----(3)

प्रतिलिपि कर्ता [illegible]

।3। सामान्य सदस्य के मृत्योपरान्त, पागल होने पर , न्यायालय से दण्डित होने पर , दिवालिया होने पर संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क न जमा करने पर अथवा संस्था के हित के विरुद्ध कार्यवाही करने पर बिना किसी साधारण सभा के अनुमति के प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा साधारण सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी ।

।7। संस्था के अंग :

।अ। साधारण सभा

।ब। प्रबन्धकारिणी समिति

।8। साधारण सभा :

।अ। साधारण सभा का गठन :

संस्था द्वारा बनाये गये सभी सदस्य चाहे वे आजीवन सदस्य हों, विशिष्ट सदस्य हो अथवा सामान्य सदस्य हों साधारण सभा के सदस्य समझे जायेगे ।

।ब। बैठक :

साधारण सभा के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है ।

।स। सूचना अवधि :

साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी ।

।द। गणपूर्ति :

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों की कम से कम 2/3 उपस्थिति में साधारण सभा के सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी ।

ओंकार सिंह
चन्द्रप्रभा देवी
मधु देवी
अजय कुमार राय
विमला देवी
बाबू नन्दन तिवारी

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ०प्र०, वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

क्रमशः---।4।

।य। वार्षिक अधिवेशन :

संस्था का वार्षिक अधिवेशन 26 जनवरी के अवसर पर हरवर्ष हुआ करेगी ।

।र। साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

।1। संस्था के गतवर्ष के बजट एवं कार्यकलापों आदि पर विचार करना तथा आगामी वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान करना ।

।2। प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव करना ।

।3। प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार कर उसे स्वीकृत करना ।

।4। संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान करना ।

।9। प्रबन्धकारिणी समिति :

।अ। गठन : साधारण सभा की 2/3 बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/मन्त्री/ ~~सचिव~~, कोषाध्यक्ष के अलावा 6 प्रबन्ध समिति के सदस्य होंगे ।

।ब। बैठकें : प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकता-अनुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है ।

।स। सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 7 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से एक दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी ।

कमला ... सिंह
ओंकार सिंह
चन्द्रप्रभा देवी
मधु देवी
ओमप्रकाश सिंह
राम ...
... राय
तारा देवी
अजय कुमार राय
विमला देवी
बाबू नन्दन तिवारी

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

क्रमशः:---।5।

।द। गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के सभी सदस्यों , पदाधिकारियो के कम से कम दो तिहाई उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी ।

।य। रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का स्थान रिक्त होने पर प्रबन्ध समिति के 2/3 बहुमत से शेष अवधि के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से किसी भी योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया जायेगा ।

।र। प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

1- संस्था के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना ।

2- संस्था को सुचारू रूपसे संचालित हेतु उप समितियों का गठन करना ।

3- संस्था के लिए अनुदान ,दान, चन्दे आदि प्राप्त करना ।

4- संस्था के चल- अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा देखभाल करना ।

5- संस्था के लिए किसी भी सरकारी / गैर सरकारी वित्तीय संस्था से ऋण लेना एवं उसकी प्रतिपूर्ति करना ।

अजय कुमार राय

विमला देबी

बाबू नन्दन तिवारी

।ल। कार्यकाल :

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा ।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता

क्रमशः---16।

!10! प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष :

1- संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के बैठकों की अध्यक्षता करना ।

2- किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक अलग से निर्णायक मत देना ।

3- बैठक करने के लिए प्रबन्धक /मन्त्री के राय से दिनांकों का अनुमोदन करना तथा उसमें परिवर्तन करना ।

4- अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे ।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा उनके निर्देशों का पालन करना ।

प्रबन्धक/~~मन्त्री/सचिव~~ :

1- संस्था के लिए अनुदान, दान, चन्दे आदि प्राप्त करना तथा उसके लिए यथाविधि रसीदें देना ।

2- आवश्यकतानुसार सामान्य एवं विशेष आवश्यक बैठक बुलाना, कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करना ।

3- बैठक करने के लिए सभी सदस्यों को सूचनाएं देना तथा बैठक में की गयी कार्यवाही को लिपिबद्ध करना ।

4- संस्था से सम्बन्धित कागजातों, प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर करउसे जारी करना ।

5- वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतन वृद्धि, तथा अन्य देय धनराशि आदि का भुगतान स्वीकृत करना ।

कमला कान्त सिंह
ओंकार सिंह
चन्द्रप्रभा देवी
मधु देवी
ओमप्रकाश सिंह
राम [illegible]
[illegible]
तारा देवी
अजय कुमार राय
विमला देबी
बाबू नन्दन तिवारी

क्रमशः:----7

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

6– वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।

7– आय-व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करवाना तथा आडिट करवाना ।

8– संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना ।

9– अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करना ।

10– समय- समय पर संस्था के हित में आवश्यक सुझाव व निर्देश देना ।

11– आकस्मिक व्यय के लिए अपने पास 500/- रुपये तक रखना ।

12– अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे ।

नोट = अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य कोषाध्यक्ष ...

कोषाध्यक्ष :

1– संस्था के निधियों एवं सम्पत्तियों के लेखे का तैयार करना ।

2– संस्था के आय-व्यय का हिसाब-किताब तैयार करना ।

3– आय-व्यय का वार्षिक विवरण तैयार कर आडिट के समय उसे प्रबन्धक/ मन्त्री/ सचिव को देना ।

4– अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो उन्हें प्रबन्धक/ मन्त्री/ सचिव द्वारा सौंपे जाय ।

ओंकार सिंह
चन्द्रप्रभा देवी
मधु देवी
... सिंह
राम रूप राम
तारा देवी
अजय कुमार राय
विमला देवी
बाबू नन्दन तिवारी

।11। संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा ।

।12। संस्था का कोष :

किसी भी स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशियों को जमा किया

सत्य प्रतिलिपि
सहायक ... फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/मन्त्री/सचिव के हस्ताक्षर से किया जायेगा ।

(13) संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण :

संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय-व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण करायी जायेगी ।

(14) संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही की संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/मन्त्री/सचिव पर होगा ।

(15) संस्था के अभिलेख :-

संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होंगे ----

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) सदस्यता रजिस्टर

(3) स्टाक रजिस्टर

(4) कैशबुक आदि होंगे ।

(16) संस्था के विघटन :- संस्था के विघटन तथा विवादित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा-13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

सत्य-प्रतिलिपि

--: हस्ताक्षर :--

दिनांक : 31-07-2002 ई0

ओंकार सिंह
चन्द्रप्रभा देवी
मधु देवी
ओमप्रकाश सिंह
राधेश्याम

तारा देवी
अजय कुमार राय
विमला देवी
बाबू नन्दन तिवारी

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी
26/6/03

प्रतिलिपि कर्ता